न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

(49)

R. 2990-I/12

1- बामन प्रसाद तनय श्री शंभू प्रसाद

2- मनठगिया बेवा श्री छकौड़ीलाल

3- राजेन्द्र प्रसाद तनय श्री छकौड़ीलाल

सभी निवासी ग्राम खाम्हा तहसील रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 -- निगराकारगण

आज दि. 7-9-12 को ... श्रीवास्तव, अभि0 द्वारा प्रस्तुत 7-9-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

श्रीमती कमला देवी बेवा श्री [illegible] निवासी खाम्हा तहसील रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 -- गैर निगराकारगण

[illegible] Adv. 6.9.12

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय सतना के राजस्व निगरानी क्रमांक-123/10-11 मे पारित आदेश दिनांक 21.08.2012

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

गैर निगराकार द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त रैगांव के समक्ष वादग्रस्त आराजियातों मे खाता विभाजन किये जाने के सम्बन्ध मे राजस्व प्रकरण कमांक-40अ27/03-04 प्रस्तुत की गयी, जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा खाता विभाजन के सम्बन्ध मे जो आधार लिए गये, वह स्वत्व से सम्बन्धित होने के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 विचारण योग्य न पाये जाने पर दिनांक 14.04.06 को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध

Cont------2

XXIX(a)-BR(H)-11

(48)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R- 2990-पीबीआर/12 जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग सतना के प्रकरण क्रमांक 123/10-11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-8-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	